संख्या- 19/2786/बयालिस-2014-45(बजट)/2014टी0सी0- 1

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 25 मार्च, 2015**

विषय- निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय इण्डोर स्टेडियम, सैफई इटावा के प्ले ग्राउण्ड एवं दर्शकदीर्घा के वातानुकूलन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 683/नि0सैफई इटावा/2014-15, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रीय इण्डोर स्टेडियम, सैफई इटावा के प्ले ग्राउण्ड एवं दर्शकदीर्घा के वातानुकूलन के सम्बन्ध में मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 1156.59 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ छप्पन लाख उनसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा मद में बजट में प्राविधानित धनराशि में से रू0 462.63 लाख (रू0 चार करोड़ बासठ लाख त्रिसठ हजार मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति कर अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 462.63 लाख (रू0 चार करोड़ बासठ लाख त्रिसठ हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(3)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निष्प्रयोज्य सामग्री को नियमानुसार निस्तारित करते हुए उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(5)- प्रशासनिक विभाग द्वारा लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी।

(6)- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लिकेसी) को रोकने के दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम मे आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य निर्धारित विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(9)- प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(10)- प्रायोजना अन्तर्गत कतिपय कार्य मद यथा-एयर कन्डीशनिंग सिस्टम सम्बन्धी कार्यों का क्रय एवं स्थापना हेतु बजटरी आफर/कोटेशन के सम्बन्ध में प्रभाग का मत है कि इनका क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(11)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाईन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर सक्षम स्तर का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(12)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

(13)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-86-सैफई में स्टेडियमों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-364(1)/दस-2015, दिनांक 19 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 2786(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्यकोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in